NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 11-02-2025

विषय सूची

नीति आयोग ने राज्यस्तरीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर नीति-रिपोर्ट जारी की
भारत-ब्रिटेन रक्षा सहयोग
भारत का फार्मास्युटिकल निर्यात 10 गुना वृद्धि के लिए तैयार
अनुसंधान, विकास एवं नवाचार के लिए बजट आवंटन

संक्षिप्त समाचार

ला नीना
लसीका फाइलेरिया
'बॉम्बे' ब्लड ग्रुप
गाँठयुक्त त्वचा रोग/लम्पी स्किन डिजीज(Lumpy Skin Disease) का टीका
पीएम-अजय(PM-AJAY) योजना
यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन(EFTA)
अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम
अमेरिका की DEI नीतियाँ
तरलता कवरेज अनुपात (Liquidity Coverage Ratio)
सेवा भोज योजना
सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के दिशा-निर्देश संशोधित किए

नीति आयोग ने राज्यस्तरीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर नीति-रिपोर्ट जारी की

संदर्भ

- नीति आयोग ने 'राज्यों और राज्यस्तरीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' शीर्षक से एक नीति-रिपोर्ट जारी की।

परिचय

- यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीतिगत दस्तावेज है, जो विशेष रूप से राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (SPUs) पर केंद्रित है।
  - राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (SPU) एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित होता है, इसे राज्यस्तरीय (सार्वजनिक) विश्वविद्यालय कहा जा सकता है।
- यह विभिन्न विषयों पर विगत् दशक के दौरान गुणवत्ता, वित्त पोषण, प्रशासन और रोजगार के महत्त्वपूर्ण संकेतकों पर विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण प्रदान करता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **उच्चतम वित्तपोषण:** उच्च शिक्षा वित्तपोषण में महाराष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके पश्चात् बिहार और तमिलनाडु का स्थान है।
- **सबसे कम वित्तपोषण:** सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में उच्च शिक्षा के लिए सबसे कम बजट है।
- **विश्वविद्यालय घनत्व:** राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व 0.8 है।
  - सिक्किम में घनत्व सबसे अधिक 10.3 है, उसके पश्चात् अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तराखंड का स्थान है।
  - बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है।
- **महिला नामांकन दर:** केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की नामांकन दर पुरुषों की तुलना में अधिक है।

चुनौतियाँ

- अच्छी गुणवत्ता वाले बुनियादी ढाँचे का अभाव।
- संकाय एवं कर्मचारियों की कमी।
- अनुसंधान एवं विकास पर अपर्याप्त व्यय।
- MTech और Ph.D. स्तर पर छात्रों का नामांकन कम है, जिससे उन्नत अनुसंधान और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने में बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है।
- पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम उद्योग-तैयार नहीं है।
- **वित्तपोषण संबंधी समस्याएँ:** प्रवेश शुल्क और राज्य अनुदान जैसे पारंपरिक राजस्व स्रोतों पर निर्भरता के कारण उन्हें वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - एस.पी.यू. के वित्तपोषण और वित्त पोषण के लिए प्रमुख चुनौतियों के रूप में बैंक ऋण के लिए ढाँचे की कमी के साथ-साथ धन की मंजूरी में प्रशासनिक देरी है।

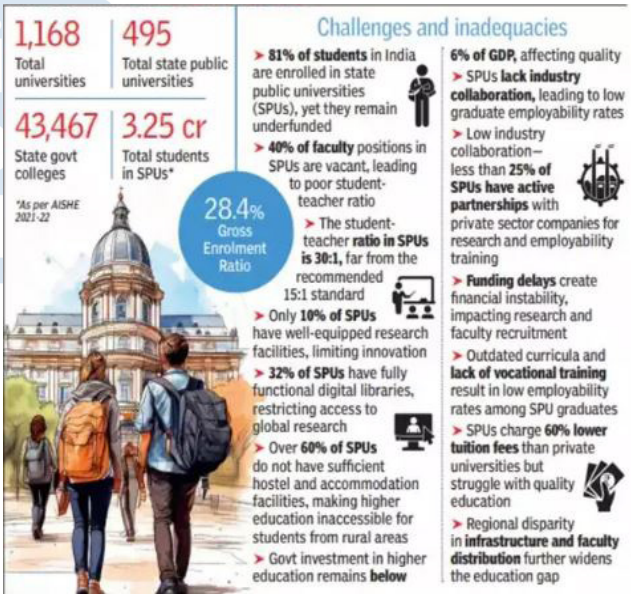

अनुशंसाएँ

- इसने SPUs के चार क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए लगभग 80 नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की हैं: शिक्षा की गुणवत्ता; वित्तपोषण एवं वित्त पोषण; शासन; और उनमें नामांकित छात्रों के बीच रोजगार की संभावना।
- NEP 2020 में सिफारिश के अनुसार शिक्षा पर केंद्र और राज्यों के संयुक्त निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाना।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में की गई अनुशंसा के अनुसार अनुसंधान एवं विकास निवेश (सार्वजनिक और निजी) को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाना।
- SPUs के समूहों को 2 से 3 स्थानीय मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और इन चुनौतियों के समाधान के लिए समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने चाहिए।
- राज्य उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) के समान एक वित्त एजेंसी स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं, जो विशेष रूप से SPUs को समर्पित हो।
  - HEFA 2017 में स्थापित केंद्र और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है।
  - इस एजेंसी को बुनियादी ढाँचे और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Source: TH

भारत-ब्रिटेन रक्षा सहयोग

संदर्भ

- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रमुख समझौते और सहयोग

- **रक्षा साझेदारी-भारत (DP-I):** द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए वन-स्टॉप हब के रूप में कार्य करने हेतु UK के रक्षा मंत्रालय के अन्दर एक समर्पित कार्यक्रम कार्यालय की स्थापना।

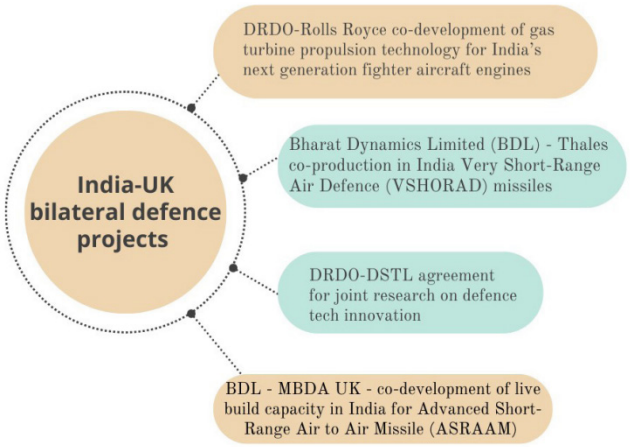

  - इसका उद्देश्य दोनों देशों में गहन सहयोग को सुविधाजनक बनाना तथा आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करना है।
- **लेजर बीम राइडिंग MANPADs (LBRM):** भारत और UK ने लेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स (MANPADS) की डिलीवरी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
  - उच्च वेग मिसाइलों (STARStreak) और लांचरों की प्रारंभिक आपूर्ति इस वर्ष के लिए निर्धारित है।
- **हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल (LMM):** इसका उद्देश्य भारतीय और ब्रिटिश उद्योगों को वैश्विक रक्षा आपूर्ति शृंखला में एकीकृत करना है।
- **उन्नत लघु दूरी की हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (ASRAAM):** हैदराबाद में ASRAAM असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए सहयोग।
- **एकीकृत पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रणोदन (IFEP) प्रणाली:** भारत के अगली पीढ़ी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPD) बेड़े के लिए एकीकृत पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रणोदन (IFEP) प्रणाली को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
  - दोनों देश भारत की पहली समुद्री भूमि-आधारित परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक पानी में LPD पहुँचाना है।

भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग

- विगत् दशक में भारत की रक्षा खरीद का केवल 3% ही ब्रिटेन से आया था।
- **आधुनिक सहयोगात्मक रूपरेखाएँ:**
  - **रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी (DISP), 2015:** इसका उद्देश्य आतंकवाद-निरोध, साइबर सुरक्षा और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।
  - **रक्षा उपकरण समझौता ज्ञापन (MoU):** यह दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है तथा सह-विकास और सह-उत्पादन पहल को बढ़ावा देता है।
  - भारत-ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण:**
  - अभ्यास अजय वारियर;
  - कोंकण अभ्यास;

- अभ्यास कोबरा योद्धा;
- तरंग शक्ति अभ्यास।

- **रक्षा औद्योगिक सहयोग:** भारत के DRDO और ब्रिटेन के DSTL के बीच रक्षा अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक व्यवस्था पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया।
- **समुद्री सहयोग:** एक नए समुद्री संवाद, ग्रे और डार्क शिपिंग सूचना साझाकरण और तंत्र के साथ नेविगेशन की स्वतंत्रता एवं खुली पहुँच को बढ़ावा देना और समुद्री सहयोग में सुधार करना।

मुख्य चिंताएँ

- भारत-ब्रिटेन रक्षा सहयोग प्रायः निम्नलिखित से संबंधित भारतीय नियमों और विनियमों द्वारा उत्पन्न 'थ्री-आई (three-I)' चुनौती के कारण पटरी से उतर जाता है:
  - विदेशी निवेश;
  - बौद्धिक संपदा अधिकार;
  - स्वदेशी सामग्री आवश्यकताएँ

सामरिक महत्त्व

- ये समझौते भारत-ब्रिटेन संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं। रक्षा सहयोग, विशेष रूप से वायु रक्षा और समुद्री प्रणोदन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में।
- यह भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है तथा स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है।

Source: TH

भारत का फार्मास्युटिकल निर्यात 10 गुना वृद्धि के लिए तैयार

समाचार में

- भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 2047 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जो वर्तमान स्तर से 10-15 गुना अधिक है।

भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग का परिचय

- इसे "विश्व की फार्मेसी" के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके पश्चात् टीके, आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति की आपूर्ति में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए।
- इस क्षेत्र ने अपनी नवोन्मेषी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है तथा स्वयं को एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक फार्मास्युटिकल मूल्य शृंखला सदस्य के रूप में स्थापित किया है।

वैश्विक बाजार में वर्तमान स्थिति:

- भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है, जिसकी वैश्विक बिक्री में 20% हिस्सेदारी है।
- मात्रा की दृष्टि से औषधि एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- भारत लगभग 200 देशों और क्षेत्रों को निर्यात करता है।
  - इन निर्यातों के लिए शीर्ष पाँच गंतव्य अमेरिका, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, यूके और ब्राजील हैं।
- जेनेरिक दवाओं का प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता होने के बावजूद, भारत दवा निर्यात मूल्य में 11वें स्थान पर है।
- वित्त वर्ष 24 में फार्मास्यूटिकल्स का कुल वार्षिक कारोबार 4.17 लाख करोड़ रुपये था, जो विगत पाँच वर्षों में औसतन 10.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

निर्यात अनुमान

- भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 2023 में 27 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 65 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- मात्रा-आधारित से मूल्य-आधारित विकास की ओर बदलाव भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- विकास के लिए फोकस क्षेत्रों में सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयव (API), बायोसिमिलर और विशेष जेनेरिक सम्मिलित हैं।
  - **API बाज़ार में वृद्धि:** भारत का API निर्यात 2047 तक 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 80-90 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
    - वैश्विक आपूर्ति शृंखला विविधीकरण, विशेष रूप से अमेरिकी बायोसिक्योर अधिनियम के कारण, भारत के लिए API उत्पादन को मजबूत करने का अवसर प्रस्तुत करता है।

- **बायोसिमिलर बाजार में वृद्धि:** भारतीय बायोसिमिलर निर्यात, जिसका वर्तमान मूल्य 0.8 बिलियन डॉलर है, 2030 तक पाँच गुना बढ़कर 4.2 बिलियन डॉलर और 2047 तक 30-35 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। बढ़ी हुई अनुसंधान एवं विकास, विनियामक सरलीकरण और क्षमता विस्तार इस वृद्धि का समर्थन करेंगे।
  - बायोसिमिलर ऐसी औषधियाँ हैं जो जैविक औषधियों से काफी मिलती-जुलती होती हैं, तथा इन्हें जीवित प्रणालियों जैसे कि यीस्ट, बैक्टीरिया या पशु कोशिकाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, तथा ये तुलनीय संरचना और कार्य प्रदर्शित करती हैं।
- **जेनेरिक फॉर्मूलेशन में वृद्धि:** जेनेरिक फॉर्मूलेशन भारत के फार्मास्युटिकल निर्यात का 70% हिस्सा बनाते हैं, जिसका मूल्य 19 बिलियन डॉलर है।
  - अनुमान है कि 2047 तक इनका आकार बढ़कर 180-190 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जिसमें उच्च मार्जिन वाले विशेष जेनेरिक दवाओं की ओर रुझान होगा।

नीति और रणनीतिक उपाय

- भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को क्रियान्वित किया है।

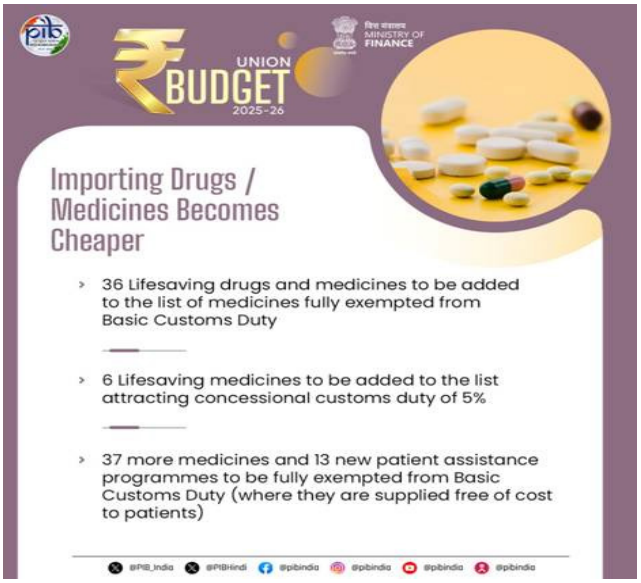

- सितंबर 2020 में, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना प्रारंभ की, जिसका वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और योजना की अवधि 2020-2021 से 2028-29 तक है।
- अब, लक्षित नीतिगत उपायों, API उद्योग को मजबूत करने, निर्यात बाधाओं को दूर करने और देश-विशिष्ट निर्यात रणनीतियों की स्थापना की आवश्यकता है।
- भारत यूनिसेफ के 55-60% टीकों की आपूर्ति करता है, लेकिन उसे क्लिनिकल परीक्षणों और विनिर्माण निवेश के माध्यम से उच्च मूल्य वाले बाजारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- विनियामक सामंजस्य, उत्पादन-जुड़े प्रोत्साहन (PLI) का विस्तार, तथा अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन प्रमुख समर्थकारी होंगे।

चुनौतियाँ

- भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकार, अनुसंधान एवं विकास की कमी आदि शामिल हैं।
- भारत में फार्मास्युटिकल बाजार में अवसरों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और कानूनी कारकों को समझना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष और आगे की राह:

- भारत पहले से ही जेनेरिक दवा आपूर्ति में वैश्विक अग्रणी है और इसका लक्ष्य विशिष्ट जेनेरिक, बायोसिमिलर एवं नवीन उत्पादों के साथ मूल्य शृंखला में आगे बढ़ना है।
  - यह बदलाव भारत को 2047 तक निर्यात मूल्य के मामले में शीर्ष पाँच देशों में स्थान दिलाने में सहायता कर सकता है।
- भारत ने नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा विनियामक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए "विश्व का स्वास्थ्य देखभाल संरक्षक" बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तथा, शैक्षणिक जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फार्मास्युटिकल क्षेत्र के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण है।

Source: BS

अनुसंधान, विकास एवं नवाचार के लिए बजट आवंटन

संदर्भ

- केंद्रीय बजट में अनुसंधान, विकास एवं नवाचार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पृष्ठभूमि

- विगत वर्ष अंतरिम बजट में पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी।
- यह लंबी अवधि और कम या शून्य ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करेगा।
- इससे निजी क्षेत्र को उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

महत्त्व

- यह कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक स्वायत्तता सृजित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
- बजट में कई पहल की गई हैं जो भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मिशन के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं।
- बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, उद्योग सहयोग एवं प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, स्थिरता और रणनीतिक क्षेत्रों में नवाचार को गति मिलेगी।

भारत का अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

- भारत वर्तमान में अनुसंधान और विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम व्यय करता है, जो तकनीकी रूप से उन्नत देशों की तुलना में कम है।
- इसका एक प्रमुख कारण मुख्य अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है - जो अब 30% के आसपास रह गई है।

अनुसंधान एवं विकास में वित्तपोषण की आवश्यकता

- **आर्थिक विकास:** नए उद्योगों को बढ़ावा देता है, उत्पादकता में सुधार करता है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।
- **तकनीकी उन्नति:** AI, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सफलता को सुगम बनाती है।
- **सामाजिक चुनौतियाँ:** गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दों को सुलझाने में सहायता करता है।
- **रोजगार सृजन:** नवाचार रोजगार के अवसर सृजित करता है और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है।
- **वैश्विक स्थिति:** भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करना।
- **निवेश आकर्षित करना:** अनुसंधान-संचालित क्षेत्रों में विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

- **वित्तपोषण संबंधी मुद्दे:** अनुसंधान एवं विकास में सीमित निवेश, विशेष रूप से सार्वजनिक संस्थानों में।
- **बुनियादी ढाँचे का अभाव:** कई संस्थानों में अनुसंधान सुविधाएँ और संसाधन अपर्याप्त हैं।
- **प्रतिभा पलायन:** विदेशों में बेहतर अवसरों के कारण प्रतिभाओं का अन्य देशों में पलायन करना।
- **उद्योग सहयोग का अभाव:** व्यावहारिक नवाचार के लिए शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सीमित साझेदारी।
- **कौशल अंतराल:** कुशल शोधकर्त्ताओं और नवप्रवर्तकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं विकास।
- **विनियामक चुनौतियाँ:** जटिल विनियमन और बौद्धिक संपदा संबंधी मुद्दे नवप्रवर्तन में बाधा डालते हैं।

सरकारी पहल

- आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा की गई है।
- यह मिशन राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 को लागू करने में सहायता करेगा, जिसका लक्ष्य भारत को भू-स्थानिक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाना है।
- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और कृषि जैव

प्रौद्योगिकी में DBT के प्रयासों के साथ संरेखित करते हुए उच्च उपज वाले, कीट प्रतिरोधी और जलवायु-प्रतिरोधी बीजों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM):** उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की 'BioE3 नीति' के अनुरूप, बजट में घोषित NMM का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण में तेजी लाना है।
- सीवीड मिशन और लर्न एंड अर्न कार्यक्रम महिला उद्यमियों को सशक्त बनाते हैं तथा आर्थिक समावेशन का समर्थन करते हैं।

आगे की राह

- हालिया पहल से स्टार्टअप्स और अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक धनराशि प्राप्त होगी और उन्हें लाभ मिलने की संभावना है।
- हालाँकि, अनुसंधान एवं विकास पर व्यय बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।
- अनुसंधान गतिविधि और इसके समर्थन हेतु निधियों को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षिक संस्थानों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
  - केंद्रीय वित्त मंत्री ने परमाणु ऊर्जा मिशन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहल, अटल टिंकरिंग लैब्स और शिक्षा में एआई पर उत्कृष्टता केंद्र सहित कई पहलों की घोषणा की है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

ला नीना

संदर्भ

- ला नीना चरण के आगमन के बावजूद, वैश्विक औसत सतही वायु तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया।

ला नीना क्या है?

- इसका स्पेनिश में अर्थ है छोटी लड़की। ला नीना को कभी-कभी एल विएजो, एंटी-एल नीनो, या केवल "एक शीत घटना" भी कहा जाता है।
- व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक तेज हो जाती हैं, जिससे अधिक उष्ण जल इंडोनेशियाई तट की ओर बढ़ जाता है, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर सामान्य से अधिक शीतल हो जाता है।

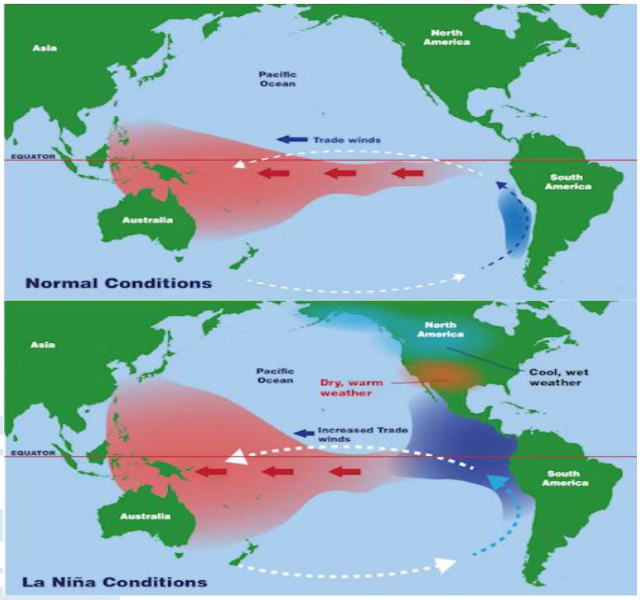

मौसम पैटर्न पर प्रभाव

- **उत्तरी अमेरिका:** ला नीना को प्रायः उत्तरी अमेरिका और कनाडा में अधिक ठंडी सर्दियों तथा दक्षिणी अमेरिका (जैसे दक्षिण-पश्चिमी राज्यों) में अधिक गर्म, शुष्क परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है।
- **दक्षिण अमेरिका:** ला नीना के कारण प्रायः पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों में सूखा पड़ता है, जबकि ब्राजील में अधिक वर्षा होती है।
- **एशिया और ओशिनिया:** ला नीना के कारण इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में वर्षा में वृद्धि और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

भारत पर प्रभाव

- अधिकांश क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी, जिससे मानसून मजबूत होगा।
- देश के कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ गया है।

- मानसून के पश्चात् और सर्दियों के महीनों के दौरान ठंडा तापमान।
- हिंद महासागर में अधिक चक्रवात, तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बढ़ रहा है।
- भारी वर्षा, बाढ़ और कटाई में देरी के कारण कृषि में व्यवधान संभव है।

Source: IE

लसीका फाइलेरिया

संदर्भ

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (LF) उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि प्रशासन (MDA) अभियान का शुभारंभ किया।

लसीका फाइलेरिया

- **सामान्यत:** हाथीपांव के नाम से जाना जाने वाला यह एक गंभीर दुर्बल करने वाला रोग है, जो फाइलेरिया नामक परजीवी कृमियों के कारण होता है।
- यह रोग गंदे/प्रदूषित जल में पनपने वाले क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है।
- **संक्रमण सामान्यत:** बचपन में होता है, जिससे लसीका तंत्र को छिपी हुई क्षति होती है, जिसके दृश्य लक्षण (लिम्फोएडेमा, एलिफैंटियासिस, और अंडकोषीय सूजन/हाइड्रोसील) जीवन में बाद में दिखाई देते हैं और स्थायी विकलांगता का कारण बन सकते हैं।
- यह एक प्राथमिकता वाली बीमारी है जिसे 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत में, LF भार का 90% योगदान 8 राज्यों - बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा दिया जाता है।
- फिलहाल इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

Source: PIB

'बॉम्बे' ब्लड ग्रुप

समाचार में

- एक दुर्लभ और जटिल चिकित्सा प्रक्रिया में, अत्यंत दुर्लभ 'बॉम्बे' (hh) रक्त समूह वाली 30 वर्षीय महिला का भारत में सफल किडनी प्रत्यारोपण किया गया।

'बॉम्बे' ब्लड ग्रुप के बारे में

- यह विश्व के सबसे दुर्लभ रक्त समूहों में से एक है और सर्वप्रथम इसकी खोज 1952 में मुंबई (पूर्व में बॉम्बे), डॉ. वाई.एम. भेंडे द्वारा की गयी थी।
- बॉम्बे रक्त समूह (hh फेनोटाइप) में, व्यक्तियों में H एंटीजन पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। इसका अर्थ यह है कि वे O सहित किसी भी ABO समूह से रक्त प्राप्त नहीं कर सकते।
  - अधिकांश रक्त समूह (A, B, AB, और O) H एंटीजन की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं, जो ABO प्रणाली का आधार बनता है।
- आनुवंशिक विरासत पैटर्न के कारण यह भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और कुछ मध्य पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है।

रक्ताधान

- इस रक्त समूह वाले लोग किसी भी ABO समूह को रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन वे केवल किसी अन्य बॉम्बे रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकते हैं।

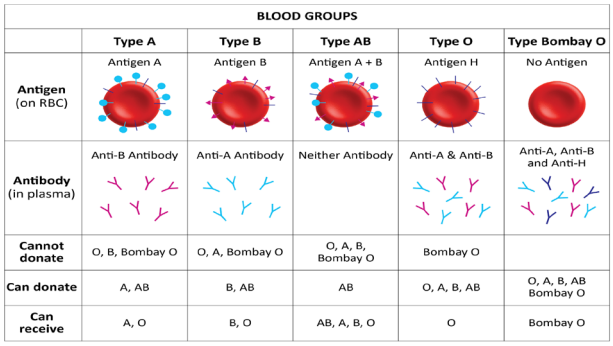

Source: IE

गाँठयुक्त त्वचा रोग/लम्पी स्किन डिजीज(Lumpy Skin Disease) का टीका

संदर्भ

- भारत बायोटेक समूह की कंपनी बायोवेट को अपनी लम्पी स्किन डिजीज (LSD) वैक्सीन, बायोलम्पिवैक्सिन के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
  - यह LSD के लिए विश्व का एकमात्र मार्कर टीका है।

गाँठयुक्त त्वचा रोग (LSD)

- लम्पी स्किन डिजीज (LSD) एक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करता है।
  - यह रोग लम्पी स्किन डिजीज वायरस (LSDV) के कारण होता है, जो पोक्सविरिडे परिवार से संबंधित है।
- **लक्षण:** बुखार, त्वचा, श्लेष्म झिल्ली और आंतरिक अंगों पर गांठें, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, त्वचा की सूजन और क्षीणता।
- **संचरण:** LSD मुख्य रूप से फैलता है;
  - मच्छर, मक्खियाँ और टिक्स जैसे काटने वाले कीड़े,
  - संक्रमित और स्वस्थ पशुओं के बीच सीधा संपर्क,
  - दूषित चारा, जल और परिवहन वाहन,
  - संक्रमित पशुओं से प्राप्त प्रजनन सामग्री।
- **उपचार:** इस वायरस का कोई उपचार नहीं है, लेकिन टीकाकरण इसे नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
  - द्वितीयक संक्रमण का उपचार एंटीबायोटिक्स और नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी (NSAIDs) से किया जा सकता है।

Source: DH

पीएम-अजय(PM-AJAY) योजना

समाचार में

- केंद्र ने पीएम-अजय योजना की प्रगति की समीक्षा की, अनुसूचित जाति समुदायों के विकास पर बल दिया।

PM-AJAY योजना के बारे में

- **परिभाषा:** पीएम-अजय भारत में अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के उत्थान के लिए 2021 में प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** कौशल विकास और आय-सृजन पहलों के माध्यम से गरीबी को कम करना।
  - साक्षरता दर में वृद्धि करना तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के नामांकन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में।
- **मुख्य घटक:**
  - **आदर्श ग्राम विकास:** अनुसूचित जाति बहुल गाँवों को एकीकृत विकास के साथ मॉडल गाँवों में परिवर्तित करना।
    - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय समावेशन सहित दस क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **अनुदान सहायता:** अनुसूचित जाति के आजीविका विकास के लिए जिला और राज्य स्तरीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
    - SC समुदायों के लिए स्थायी आय के अवसरों का समर्थन करता है।
  - **छात्रावास निर्माण:** अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए छात्रावासों की स्थापना की जाती है।
    - इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।

Source: BS

यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन(EFTA)

संदर्भ

- चार सदस्यीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के दो देश - स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन - भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर बल दे रहे हैं।

परिचय

- EFTA ने विगत वर्ष भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंतर्गत 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी।
- EFTA क्षेत्र के देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- विगत् वर्ष, स्विटजरलैंड ने भारत और स्विटजरलैंड के बीच 1994 में हस्ताक्षरित दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) खंड को निलंबित कर दिया था।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (EFTA)

- यह आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1960 में इसके तत्कालीन सात सदस्य देशों द्वारा अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- भारत के साथ व्यापार: 2022 में, संयुक्त EFTA-भारत व्यापारिक व्यापार 6.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया।
  - EFTA राज्यों को प्राथमिक आयात में जैविक रसायन (27.5%) शामिल थे, जबकि मशीनरी (17.5%) और फार्मास्यूटिकल उत्पाद (11.4%) भारत को मुख्य निर्यात थे।

Source: IE

अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम

समाचार में

- अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से लाभान्वित हों।

15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में

- यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को शामिल किया जाता है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित एवं कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिलें और वे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।
- **प्रमुख योजनाएँ**
  - प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
  - पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
  - योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना
  - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (NMDFC) ऋण योजनाएँ
  - समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)
  - दीन दयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM)- (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
  - दीन दयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्य योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
  - दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय)
  - बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना (वित्तीय सेवा विभाग)
  - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवा विभाग)
  - पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
  - आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
  - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन), (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)
- **उद्देश्य:** शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना
  - मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए संवर्धित ऋण सहायता तथा राज्य और केंद्र सरकार के रोजगारों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।
  - बुनियादी ढाँचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना।
  - सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

Source: PIB

अमेरिका की DEI नीतियाँ

समाचार में

- डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पूर्ववर्ती जो बिडेन द्वारा स्थापित DEI (विविधता, समानता और समावेश) नीतियों को समाप्त करने का कार्य किया है।

DEI नीतियों के बारे में

- DEI से तात्पर्य कार्यस्थल नीतियों से है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है:
  - विविधता जिसमें विभिन्न समुदाय, नस्लें, जातीयताएँ और पृष्ठभूमियाँ शामिल हैं।
  - समानता, जो व्यक्तियों, विशेष रूप से वंचित समुदायों के व्यक्तियों के साथ उचित एवं निष्पक्ष व्यवहार से संबंधित है।
  - समावेशन जो सभी कर्मचारियों की प्रतिभा और कौशल को पहचानता है और उनका उपयोग करता है।
- DEI नीतियाँ सुगम्यता पर भी बल देती हैं, तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि सुविधाएँ और सेवाएँ विकलांग लोगों सहित सभी के लिए उपयोगी हों।
  - ट्रम्प और कई रूढ़िवादी लोग DEI को श्वेत अमेरिकियों के प्रति भेदभावपूर्ण मानते हैं।

DEI का इतिहास:

- DEI के प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही अस्तित्व में हैं तथा 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के बाद से इसमें अधिक तेजी आई।
- 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के पश्चात् ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने कार्यस्थलों में DEI समर्थन को बढ़ावा दिया।
- 2023 के प्यू सर्वेक्षण से पता चला है कि 56% अमेरिकी कर्मचारी DEI प्रयासों को सकारात्मक रूप से देखते हैं।

भारतीय परिदृश्य

- भारत में अमेरिका की तरह व्यवस्थित DEI दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि DEI की उत्पत्ति विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों से हुई है।
- भारत में लंबे समय से सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ रही हैं, जिनमें शिक्षा एवं रोजगार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण शामिल है।
- भारतीय संविधान जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है।
- भारतीय कंपनियों में समलैंगिकता के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास #MeToo तथा समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने जैसे आंदोलनों के जवाब में किए गए हैं।

Source :IE

तरलता कवरेज अनुपात (Liquidity Coverage Ratio)

समाचार में

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संशोधित तरलता कवरेज अनुपात (LCR) मानदंडों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

तरलता कवरेज अनुपात के बारे में

- यह बेसल III ढाँचे के अंतर्गत एक प्रमुख नियामक आवश्यकता है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक वित्तीय तनाव के दौरान अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (HQLA) का पर्याप्त स्तर बनाए रखें।
  - **HQLA:** नकदी, सरकारी प्रतिभूतियाँ, और अत्यधिक तरल उपकरण जिन्हें शीघ्रता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।
- LCR का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की लोचशीलता बढ़ाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों के पास 30 दिन की गंभीर तरलता संकट की अवधि में जीवित रहने के लिए पर्याप्त तरल परिसंपत्तियाँ हों।

बेसल III आवश्यकताएँ

- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) ने 2008 के वित्तीय संकट के पश्चात् बैंकों के तरलता जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए 2010 में LCR की शुरुआत की थी।
- 2015 में इसे प्रारंभ में 60% पर निर्धारित किया गया था, जिसे पूर्ण अनुपालन के लिए धीरे-धीरे 2019 तक बढ़ाकर 100% कर दिया गया।

Source: LM

सेवा भोज योजना

समाचार में

- सेवा भोज योजना के अंतर्गत कई धार्मिक संस्थाएँ लाभान्वित हुईं।

सेवा भोज योजना के बारे में

- यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2018 में प्रारंभ किया गया था।
- यह एक कैलेंडर माह में कम से कम 5000 लोगों को मुफ्त भोजन परोसने के लिए विशिष्ट कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों द्वारा भुगतान किए गए CGST और IGST के केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।
  - इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित GST प्राधिकरण द्वारा की जाती है।
- **पात्रता मानदंड:** संस्थाओं को कम से कम तीन वर्षों से जनता/श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन वितरित करना होगा तथा जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- **प्रतिपूर्ति प्रक्रिया:** दावों का सत्यापन करने के पश्चात्, संबंधित GST प्राधिकरण उन्हें मंत्रालय को भेजता है, जो संस्थानों को प्रतिपूर्ति के लिए GST प्राधिकरण को धनराशि प्रदान करता है।

Source: PIB

सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के दिशा-निर्देश संशोधित किए

संदर्भ

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)

- MIS पीएम-आशा योजना का एक घटक है।
- इसे टमाटर, प्याज और आलू आदि जैसे विभिन्न शीघ्र खराब होने वाले कृषि/बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अनुरोध पर क्रियान्वित किया जाता है। जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू नहीं है।

संशोधित MIS दिशा-निर्देश

- MIS तभी लागू किया जाएगा जब विगत सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्य में न्यूनतम 10% की कमी होगी।
- फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
- राज्य को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को भौतिक खरीद के स्थान पर प्रत्यक्षतः किसानों के बैंक खाते में भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है।

Source: PIB

■■■■